



वेदांता लिमिटेड

स्टॉक एक्सचेंज(जो) के लिए अर्थपूर्ण घटनाओं/ अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के उचित प्रकटीकरण हेतु
अर्थपूर्णता के निर्धारण के लिए नीति और अभिलेखीय नीति

अनुमोदनकर्ता	निदेशक मण्डल
संस्करण:	03
लागू होने का दिनांक	06 अगस्त, 2024

विषय-सूची

क्रमांक	विवरण	पेज नं.
ए.	नीति का उद्देश्य	03
बी.	व्याख्या	03
सी.	निरंतर प्रकटीकरण के प्रति प्रतिबद्धता	03
डी.	अर्थपूर्णता का आकलन और प्रकटीकरण की आवश्यकता	04
इ.	सूचना के प्रकटीकरण के लिए समय सीमा	05
एफ.	अर्थपूर्णता का निर्धारण करने और इसके तहत सूचना के प्रसार हेतु प्राधिकारी	06
जी.	विश्लेषक और निवेशक की बैठकें	07
एच.	अनपेक्षित या अनजाने में हुए खुलासे	07
आय.	अभिलेखीय नीति	07
जे.	सीमा और संशोधन	07
	परिशिष्टों की सूची	
	अनुलग्नक I — कीमतों में अर्थपूर्ण उतार-चढ़ाव ("MPM")	08
	अनुलग्नक II — मेनस्ट्रीम मीडिया - शामिल विषय और दायरा	09

स्टॉक एक्सचेंज(जों) के लिए अर्थपूर्ण घटनाओं/ अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी के निष्पक्ष प्रकटीकरण हेतु अर्थपूर्णता के निर्धारण के लिए नीति और अभिलेखीय नीति

A. नीति का उद्देश्य

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("SEBI") (लिस्टिंग दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("लिस्टिंग विनियम") ने, स्टॉक एक्सचेंजों के लिए अर्थपूर्ण घटनाओं और अप्रकाशित मूल्य संवेदनशील जानकारी ("UPSI") के निष्पक्ष प्रकटीकरण के लिए किसी घटना/सूचना और प्रक्रियाओं की अर्थपूर्णता के निर्धारण और अभिलेखीय नीति हेतु दिशानिर्देशों का निर्माण करने का निर्धारण किया है।

वैश्विक संगठन के रूप में, वेदांता लिमिटेड ("कंपनी") की कॉर्पोरेट गवर्नेंस प्रथाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ बैंचमार्क की जाती हैं। कंपनी अर्थपूर्ण जानकारी को निष्पक्ष, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से प्रसारित करने के लिए अपने निवेशकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी पहचानती है। तदनुसार, इस नीति के माध्यम से कंपनी अर्थपूर्णता और उनके उचित खुलासे का निर्धारण करने के लिए मानदंड निर्धारित कर रही है।

इस नीति का उद्देश्य एक ऐसा ढांचा प्रदान करना है जो कंपनी द्वारा प्रसारित जानकारी की गुणवत्ता और सत्यनिष्ठा में विश्वास का समर्थन करता है और उसे बढ़ावा देता है।

यह नीति, लिस्टिंग विनियमों के प्रावधानों के तहत निर्दिष्ट किसी भी आवश्यकता को कम नहीं करेगी। यह नीति स्टॉक एक्सचेंज में आवश्यक खुलासे करने के लिए लिस्टिंग विनियमों के अनुसार, किसी भी संभावित घटना या जानकारी की पहचान करने और अधिकृत कार्मिक को इसकी रिपोर्ट करने में कंपनी के "संबंधित कर्मचारियों" की सहायता करेगी।

B. व्याख्या

इस नीति में उपयोग किए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के वही अर्थ हैं जो लिस्टिंग विनियमों, और या इसके तहत किए गए अन्य लागू कानूनों और संशोधनों में निहित हैं।

C. निरंतर प्रकटीकरण के प्रति प्रतिबद्धता

कंपनी, लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर अर्थपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं का खुलासा करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह नीति पूरे संगठन में पूरी तरह से अपनाई जाए, कंपनी ने एक आंतरिक एसओपी विकसित किया है जिसमें निम्नलिखित का विवरण दिया गया है:

- वैधानिक आवश्यकताओं का विवरण देने वाले प्रमुख सिद्धांत;
- कंपनी के "प्रासंगिक कर्मचारी" जो किसी भी ऐसी संभावित अर्थपूर्ण घटना या जानकारी की पहचान करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसे लिए स्टॉक एक्सचेंज(जों) को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी।
- पूरे संगठन में अपनाई जाने वाली रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ
- आंतरिक संचार और जागरूकता बढ़ाना
- परिणाम प्रबंधन

निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक ("KMP") और संबंधित कर्मचारी, जैसा कि SOP में निर्दिष्ट है, यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि कंपनी मुख्य रूप से निम्नलिखित पर ध्यान केंद्रित करके प्रकटीकरण दायित्वों का अनुपालन करती है:

- यह सुनिश्चित करना कि प्रकटीकरण योग्य जानकारी की पहचान के लिए पर्याप्त प्रक्रियाएँ और नियंत्रण मौजूद हैं
- किसी घटना या सूचना के घटित होने के वास्तविक समय के आकलन के आधार पर स्टॉक एक्सचेंजों को खुलासे करने का उचित समय निर्धारित करना और यह सुनिश्चित करना कि खुलासे निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रसारित किए जाएं
- ऐसी अन्य घटनाओं या सूचनाओं पर विचार करना जिनके लिए स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकटीकरण की आवश्यकता हो सकती है, जिन्हें सेबी लिस्टिंग विनियमों में स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है, और ऐसे मामलों के लिए प्रकटीकरण की अर्थपूर्णता, उचित समय और विषयवस्तु का निर्धारण करना
- यह सुनिश्चित करना कि पूरे संगठन में आंतरिक SOP का उसके शब्द और भाव दोनों ने नजरिए से सही तरीक से अनुपालन किया जा रहा है

उपर्युक्त के अलावा, लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 30 (11A) के अनुसार, कंपनी के प्रमोटर, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (KMP) या वरिष्ठ प्रबंधन सदस्य, लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 30 (11) के तहत आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी द्वारा मांगे गए प्रश्नों या स्पष्टीकरण के लिए पर्याप्त, सटीक और समय पर प्रतिक्रिया प्रदान करेंगे और कंपनी ऐसे व्यक्तियों से प्राप्त प्रतिक्रिया को स्टॉक एक्सचेंजों को तुरंत प्रसारित करेगी।

यदि लेन-देन में कंपनी का प्रमोटर शामिल होता है, तो इस विशिष्ट स्थिति में, कंपनी बाजार की अफवाह के संबंध में प्रमोटर से सहयोग प्राप्त कर जांच करने के लिए बाध्य होगी। प्रमोटर (कंपनी के अनुरोध के अनुसार) से जानकारी की प्राप्त होने/जानकारी प्राप्त नहीं होने के बारे में कंपनी द्वारा प्रकटीकरण किया जाएगा। यह स्पष्ट किया गया है कि कंपनी से स्पष्टीकरण मांगने की उपर्युक्त आवश्यकता कंपनी के प्रमोटर से जुड़े लेनदेन से संबंधित अफवाह तक सीमित है, न कि किसी अन्य तीसरे पक्ष या सार्वजनिक शेयरधारक से।

D. अर्थपूर्णता आकलन और प्रकटीकरण की आवश्यकता

1. घटना या जानकारी से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर मामला-दर-मामला आधार पर अर्थपूर्णता का निर्धारण किया जाएगा।
2. लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची III के भाग A के (A) में निर्दिष्ट घटनाओं का खुलासा अर्थपूर्णता की परवाह किए बिना किया जाएगा।
3. लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची III के भाग A के (B) में निर्दिष्ट घटनाओं का खुलासा अर्थपूर्णता के लिए दिशानिर्देशों को लागू करते हुए किया जाएगा।
4. लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची III के भाग B में निर्दिष्ट ऐसी सभी जानकारी का खुलासा किया जाएगा, जो वेदांता लिमिटेड के प्रदर्शन/संचालन पर अंसर डालती हो या जो मूल्य संवेदनशील है या ब्याज या लाभांश के भुगतान या गैर-परिवर्तनीय प्रतिभूतियों के मोचन भुगतान को प्रभावित करेगी।
5. कंपनी, उपर्युक्त बिंदु 2 द्वारा कवर की गई घटनाओं/जानकारी की अर्थपूर्णता के निर्धारण के लिए निम्नलिखित दिशानिर्देश लागू करेगी:

जानकारी/घटना से संबंधित विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर अर्थपूर्णता का निर्धारण मामला-दर-मामला आधार पर किया जाएगा। यह निर्धारित करने के लिए कि कोई विशेष घटना/जानकारी अर्थपूर्ण प्रकृति की है या नहीं, कंपनी निम्नलिखित मानदंडों पर विचार करेगी:

1. किसी घटना या जानकारी को छोड़ना:

(ए) जिसके कारण सार्वजनिक रूप से पहले से उपलब्ध किसी घटना या जानकारी की निरंतरता भंग होने या उसमें परिवर्तन होने की संभावना है; या

(बी) जिसके परिणामस्वरूप बाद की तारीख में उक्त चूक के प्रकाश में आने पर बाजार की महत्वपूर्ण प्रतिक्रिया होने की संभावना है; या

(सी) मूल्य के संदर्भ में जिसका मूल्य या अपेक्षित प्रभाव, निम्नलिखित की निचली सीमा से अधिक है:

- कंपनी के पिछले ऑडिट किए गए समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार टर्नओवर का 2%;
- निवल संपत्ति का 2%, कंपनी के अंतिम ऑडिट किए गए समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार, सिवाय इसके कि निवल मूल्य का अंकगणितीय मूल्य नकारात्मक है;
- कंपनी के पिछले तीन ऑडिट किए गए समेकित वित्तीय विवरणों के अनुसार, कर के बाद लाभ या हानि के निरपेक्ष मूल्य के औसत का 5%।

2. ऐसे मामले में जहां उपर्युक्त (a), (b) और (सी) में निर्दिष्ट मानदंड लागू नहीं हैं, यदि कंपनी के निदेशक मंडल या निदेशक मंडल द्वारा अधिकृत प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (KMPs) की राय में, घटना/जानकारी को अर्थपूर्ण माना जाता है।

6. कंपनी स्टॉक एक्सचेंज(जॉ) को उन सभी घटनाओं या सूचनाओं के बारे में भी तुरंत सूचित करेगी जो लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची III के साथ पठित विनियमन 30 के तहत या लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 51 के तहत निर्दिष्ट हैं।

7. कंपनी उन सहायक कंपनियों के संबंध में सभी घटनाओं या सूचनाओं का भी खुलासा करेगी जो कंपनी के लिए अर्थपूर्ण हैं।

8. यदि किसी विनियामक, वैधानिक, प्रवर्तन या न्यायिक प्राधिकारण से संचार प्राप्त होने के अनुसार, इस विनियमन के प्रावधानों के संदर्भ में सूचीबद्ध इकाई द्वारा किसी घटना या जानकारी का खुलासा करना आवश्यक है, तो कंपनी घटना या जानकारी के साथ ऐसे संचार का खुलासा करेगी, जब तक कि ऐसे प्राधिकारण द्वारा इस तरह के संचार का खुलासा प्रतिबंधित न हो।

9. 01 जून, 2024 से, कंपनी, **मूल्य में अर्थपूर्ण उतार-चढ़ाव ("MPM")** (इस नीति में **अनुलग्नक I** में विस्तृत ढांचा), **मेनस्ट्रीम मीडिया** में किसी भी रिपोर्ट की गई घटना या जानकारी (इस नीति के **अनुलग्नक I** में विस्तृत रूप से प्रस्तुत शामिल विषय और दायरा), जो सामान्य प्रकृति की नहीं है और जो यह इंगित करती है कि एक आसन्न विशिष्ट घटना या जानकारी की अफवाह निवेश करने वाली जनता के बीच प्रसारित हो रही है, की जितनी जल्दी हो सके, लेकिन किसी भी मामले में 'कीमत में अर्थपूर्ण उतार-चढ़ाव' (MPM) ट्रिगर होने के बाद चौबीस (24) घंटे बीतने से पहले, पुष्टि करेगी, उससे इनकार करेगी या उसे स्पष्ट करेगी।

यदि कंपनी रिपोर्ट की गई घटना या जानकारी की पुष्टि करती है, तो वह यह भी बताएगी कि ऐसी घटना या जानकारी वर्तमान में किस चरण में है।

बशर्ते कि जब कंपनी अर्थपूर्ण मूल्य उतार-चढ़ाव ट्रिगर होने के चौबीस घंटे के भीतर, कोई भी रिपोर्ट की गई घटना या जानकारी जिस पर सेबी (पूँजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2018 के अध्याय V या अध्याय VI के तहत मूल्य निर्धारण मानदंड प्रदान किए गए या सेबी (शेयरों और अधिग्रहणों का पर्याप्त अधिग्रहण) विनियम, 2011 के विनियमन 8 या विनियमन 9 के तहत प्रदान किए गए मूल्य निर्धारण मानदंड या सेबी (प्रतिभूतियों की खरीद - वापसी) विनियम, 2018 के विनियमन 19 या विनियमन 22 बी के तहत प्रदान किए गए मूल्य निर्धारण मानदंड या सेबी या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य मूल्य निर्धारण मानदंड लागू होते हैं, की पुष्टि करती है, तो मूल्य में अर्थपूर्ण उतार-चढ़ाव और रिपोर्ट की गई घटना या जानकारी की पुष्टि के कारण कंपनी के

इक्विटी शेयरों की कीमत पर प्रभाव को सेबी द्वारा निर्दिष्ट ढांचे के अनुसार उस लेनदेन के लिए मूल्य की गणना के लिए बाहर रखा जा सकता है।

बाजार की अफवाह की पुष्टि होने पर लेनदेन के लिए ली जाने वाली अप्रभावित कीमत के लिए अप्रभावित मूल्य ढांचे पर विचार किया जाएगा। उक्त ढांचा सेबी के परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/51 दिनांक 21 मई, 2024, जिसे समय और समय पर संशोधित किया जा सकता है, के अनुसार होगा।

10. प्रकटीकरण का प्रारूप लिस्टिंग विनियमों के तहत सेबी द्वारा समय-समय निर्धारित किए जा गए अनुसार होगा।

E. सूचना के प्रकटीकरण के लिए समय सीमा

कंपनी लिस्टिंग विनियमों के तहत आवश्यक सभी अर्थपूर्ण घटनाओं/सूचनाओं और ऐसी अन्य फाइलिंग का खुलासा नीचे दी गई समयसीमा के अनुसार करेगी:

जानकारी की प्रकृति	प्रकटीकरण के लिए समयसीमा
वेदांता लिमिटेड के भीतर होने वाली घटनाएं या भीतर से उत्पन्न होने वाली जानकारी इनमें निम्नलिखित शामिल होंगी: <ul style="list-style-type: none"> • कोई भी आंतरिक घटना/जानकारी जिसे अर्थपूर्ण माना जा सकता है। • कोई भी बाहरी घटना/सूचना जो वेदांता लिमिटेड को उसकी सहायक कंपनियों सहित अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित कर रही है और यदि औपचारिक रूप से उसकी सूचना वेदांता को दी गई है। 	<ul style="list-style-type: none"> • बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक होने वाली घटनाएं/जानकारी: <ul style="list-style-type: none"> • बोर्ड की जिस बैठक में मामले को मंजूरी दी जाती है उसके समाप्त होने के 30 मिनट के भीतर। • ऐसी घटनाएं/जानकारी जिनके लिए बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है: <ul style="list-style-type: none"> • 12 घंटों के भीतर
वेदांता लिमिटेड के बाहर से उत्पन्न होने वाली जानकारी जिसकी जानकारी किसी तीसरे पक्ष द्वारा दी जाती है इसमें निम्नलिखित शामिल होंगी: <ul style="list-style-type: none"> • कोई भी बाहरी घटना/सूचना जो वेदांता लिमिटेड को उसकी सहायक कंपनियों सहित अर्थपूर्ण रूप से प्रभावित कर रही है और यदि औपचारिक रूप से उसकी जानकारी वेदांता को नहीं दी गई है। 	24 घंटों के भीतर
अनुसूची III में निर्दिष्ट मामलों के लिए बोर्ड मीटिंग का परिणाम	बोर्ड मीटिंग के समाप्त के 30 मिनट के भीतर
विश्लेषकों या संस्थागत निवेशकों की बैठक का कार्यक्रम (शेड्यूल)	कम से कम 2 कार्य दिवस पहले (सूचना की तारीख और बैठक की तारीख को छोड़कर)
विश्लेषक/निवेशक बैठक का प्रजेन्टेशन और ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग	अगले कारोबारी दिन से पहले या ऐसी कॉल के समाप्त के 24 घंटों के भीतर, जो भी पहले हो
एनालिस्ट/इन्वेस्टर की बैठक के ट्रांसक्रिप्ट	ऐसी कॉल के समाप्त के 5 कार्य दिवसों के भीतर
लिस्टिंग विनियमों की अनुसूची III के भाग A के पैरा A के खंड 5A में निर्दिष्ट कंपनी के लिए बाध्यकारी अनुबंध	भविष्य में होने वाला कोई भी अनुबंध, जिसमें वेदांता लिमिटेड अनुबंधों का पक्षकार नहीं है:

	<p>कंपनी या उसकी होल्डिंग, सहायक और सहयोगी कंपनी जो समझौतों की पक्षकार हैं, के सभी शेयरधारक, प्रमोटर, प्रमोटर समूह इकाइयां, संबंधित पक्ष, निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मी और कर्मचारी, ऐसे अनुबंधों में प्रवेश करने या अनुबंध करने के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के 2 कार्य दिवसों के भीतर कंपनी को ऐसे अनुबंध के बारे में जानकारी देंगे जिसकी कि <u>कंपनी पक्षकार नहीं है।</u></p> <p>इसके बाद कंपनी इस जानकारी के प्राप्त होने के 24 घंटे के भीतर स्टॉक एक्सचेंज(जॉ) को सूचित करेगी।</p> <p><u>भविष्य में होने वाला कोई भी अनुबंध जहां वेदांता लिमिटेड अनुबंधों की पक्षकार है:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • बोर्ड के अनुमोदन के बाद अनुबंध: बोर्ड की वह बैठक जिसमें अनुबंध को अनुमोदन दिया गया है, के समाप्त होने के 30 मिनट के भीतर • ऐसी घटनाएं/जानकारी जिनके लिए बोर्ड की मंजूरी की आवश्यकता नहीं है: ऐसे समझौतों में प्रवेश करने या ऐसे समझौतों में प्रवेश करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 12 घंटों के भीतर
--	---

F. अर्थपूर्णता का निर्धारण करने और उसके तहत जानकारी के प्रसार के लिए प्राधिकारी

लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 30 के तहत किए गए निर्धारण के अनुसार, कंपनी के निदेशक मंडल ने किसी घटना या जानकारी की अर्थपूर्णता का निर्धारण करने और स्टॉक एक्सचेंज(जॉ) को खुलासे करने के उद्देश्य से निम्नलिखित प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक(कों) को अधिकृत किया है:

1. **घटना की अर्थपूर्णता का निर्धारण:** कार्यकारी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक (KMP) (सीईओ, सीएफओ और सीएस) हेड ग्रुप कम्युनिकेशंस एंड इन्वेस्टर रिलेशंस के परामर्श से स्टॉक एक्सचेंज(जॉ) को प्रकटीकरण करने के उद्देश्य से किसी घटना/सूचना की अर्थपूर्णता निर्धारित करने के लिए संयुक्त रूप से अधिकृत (अधिकृत कार्मिक) हैं।

घटनाओं या सूचना के खुलासे पर कंपनी के आंतरिक SOP में विस्तृत रूप से बताए गए 'प्रासंगिक कर्मचारी', उपर्युक्त अधिकृत कार्मिक को ऐसी किसी भी घटना या जानकारी के बारे में तुरंत सूचित करेंगे, जिसके लिए स्टॉक एक्सचेंज(जॉ) को रिपोर्ट करने की आवश्यकता हो।

2. **स्टॉक एक्सचेंज(जॉ) को खुलासे करना:** कंपनी के सचिव/अनुपालन अधिकारी/कंपनी के उप कंपनी सचिव को स्टॉक एक्सचेंज(जॉ) में अर्थपूर्ण घटनाओं/सूचनाओं का प्रसार और प्रकटीकरण करने के लिए अधिकृत किया गया है।

G. विश्लेषक और निवेशक की बैठक

कंपनी समय-समय पर विश्लेषक और निवेशकों की विभिन्न बैठकों में भाग लेती है। ऐसी बैठकों में, कंपनी निम्नलिखित सुनिश्चित करेगी:

1. इन बैठकों में बाजार की किसी भी संवेदनशील जानकारी का खुलासा तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि इसे साथ ही साथ स्टॉक एक्सचेंज(जॉ) को जारी नहीं किया जाता हो;
2. यदि बाजार की संवेदनशील जानकारी अनजाने में जारी कर दी जाती है, तो इसे लिस्टिंग विनियमों के तहत निर्दिष्ट समयसीमा के भीतर, स्टॉक एक्सचेंज(जॉ) को जल्द से जल्द जारी किया जाएगा;
3. बाजार की संवेदनशील जानकारी से संबंधित प्रश्नों का उत्तर प्रबंधन द्वारा नहीं दिया जाएगा; और
4. निवेशकों के प्रजेंटेशन कंपनी की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराए जाएंगे।

H. अनपेक्षित या अनजाने में हुए खुलासे

हितधारकों के सामने कोई भी खुलासा करते समय कंपनी अत्यधिक सावधानी बरतेगी। हालांकि, कंपनी के प्रवक्ता या किसी कर्मचारी द्वारा अनजाने में कोई प्रकटीकरण कर दिए जाने पर, इस तरह के अनपेक्षित या अनजाने में हुए खुलासे के कारण होने वाले किसी भी प्रभाव को कम करने के लिए लक्षित दर्शकों को जल्द से जल्द इसका तुरंत खंडन या स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

I. अभिलेखीय नीति

लिस्टिंग विनियमों के विनियमन 30 (8) के तहत किए गए निर्धारण के अनुसार, कंपनी अपनी वेबसाइट पर ऐसी सभी घटनाओं या सूचनाओं का खुलासा करेगी जिनका खुलासा इस विनियमन के तहत स्टॉक एक्सचेंज(जॉ) को किया गया है, और इस तरह के खुलासे कंपनी की वेबसाइट पर न्यूनतम पांच साल की अवधि के लिए होस्ट किए जाएंगे और उसके बाद कंपनी सचिव के विवेक के अनुसार, जो होस्ट की गई जानकारी को बनाए रखने या उसे छोड़ने का निर्णय ले सकता है।

J. सीमा और संशोधन

इस नीति के प्रावधानों, और किसी अन्य वैधानिक अधिनियमनों नियमों के अधिनियम या लिस्टिंग विनियमों में कोई विरोधाभास होने पर ऐसे अधिनियम या लिस्टिंग विनियमों या वैधानिक अधिनियमनों के प्रावधान लागू होंगे। लिस्टिंग विनियमों, अधिनियम और/या इस संबंध में लागू कानूनों में बाद में किया गया कोई भी परिवर्तन /संशोधन स्वचालित रूप से इस नीति पर लागू होगा।

यह नीति 06 अगस्त, 2024 से प्रभावी होगी। कंपनी का निदेशक मंडल समय-समय पर नीति की समीक्षा करेगा और लागू वैधानिक प्रावधानों के तहत विनियामक संशोधनों के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय-समय पर नीति में संशोधन कर सकता है।

अनुलग्नक ॥

अर्थपूर्ण मूल्य उतार-चढ़ाव ("MPM")

कंपनी द्वारा बाजार में फैली अफवाह के सत्यापन के संबंध में 'अर्थपूर्ण मूल्य उतार-चढ़ाव' (MPM) (इक्विटी कैश मार्केट में) पर ढांचा बीएसई लिमिटेड ("बीएसई") और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ("एनएसई") द्वारा 21 मई, 2024 को जारी परिपत्रों के अनुसार होगा, जिसे कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिपत्रों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर देखा जा सकता है:

स्टॉक एक्सचेंज	संदर्भ क्रमांक	दिनांक	लिंक
बीएसई	20240521-58	21 मई, 2024	बीएसई
एनएसई	NSE/SURV/62122	21 मई, 2024	एनएसई

'अर्थपूर्ण मूल्य उतार-चढ़ाव' (MPM) का परिकलन करने के लिए ढांचा नीचे दिया गया है:

सकारात्मक समाचार/अफवाह के मामले में			
सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की मूल्य सीमा	शेयर की कीमत में वहप्रतिशत भिन्नता, जिसे अर्थपूर्ण मूल्य के रूप में माना जाएगा।		
सुबह 9:30 बजे बैंचमार्क इंडेक्स मूवमेंट 1% से कम है	सुबह 9:30 बजे बैंचमार्क इंडेक्स मूवमेंट 1% से अधिक या उसके बराबर होता है	इंट्राडे प्राइस मूवमेंट (यानी, सुबह 9:30 बजे के बाद)	
₹ 200 और उससे अधिक	≥ 3%	इससे ज्यादा या इसके बराबर (सुबह 9:30 बजे बैंचमार्क इंडेक्स में 3% + % परिवर्तन) या बैंड हिट	≥ 3%
नकारात्मक समाचार/अफवाह के मामले में			
सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों की मूल्य सीमा	शेयर की कीमत में प्रतिशत भिन्नता, जिसे अर्थपूर्ण मूल्य के रूप में माना जाएगा।		
सुबह 9:30 बजे बैंचमार्क इंडेक्स मूवमेंट -1% से कम या उसके बराबर होता है	सुबह 9:30 बजे बैंचमार्क इंडेक्स मूवमेंट -1% से अधिक है	इंट्राडे प्राइस मूवमेंट (यानी, सुबह 9:30 बजे के बाद)	
₹ 200 और उससे अधिक	इससे कम या इसके बराबर (सुबह 9:30 बजे बैंचमार्क इंडेक्स में -3% - % परिवर्तन) या बैंड हिट	≤ -3%	≤ -3%

* इंट्राडे प्राइस मूवमेंट (यानी, सुबह 9:30 बजे के बाद) के मामले में, इंडेक्स मूवमेंट के बावजूद, स्क्रिप में केवल मूल्य सीमा-आधारित मूल्य भिन्नता पर विचार किया जाना चाहिए।

'अर्थपूर्ण मूल्य उतार-चढ़ाव' (MPM) के ट्रिगर होने पर अफवाहों पर नज़र रखने की लुक-बैक अवधि मामला-दर-मामला आधार पर तय की जाएगी, जैसा कि कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों (KMPs) द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

अनुलग्नक II

मेनस्ट्रीम मीडिया — शामिल विषय और दायरा

मेनस्ट्रीम मीडिया की परिभाषा BSE और NSE द्वारा जारी परिपत्रों के साथ पठित सेबी के सर्कुलर नंबर SEBI/HO/CFD/CFD-POD-2/P/CIR/2024/52 दिनांक 21 मई, 2024के तहत जारी उद्योग मानकों के अनुसार होगी, जिनमें समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है।

उपर्युक्त परिपत्रों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सेबी और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटों पर देखा जा सकता है:

स्टॉक एक्सचेंज	संदर्भ क्रमांक	तारीख	लिंक
सेबी	SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2024/52	21 मई, 2024	सेबी
बीएसई	20240521-56	21 मई, 2024	बीएसई
एनएसई	NSE/CML/2024/13	21 मई, 2024	एनएसई

मेनस्ट्रीम मीडिया में केवल वे विशिष्ट समाचार स्रोत कवर किए जाएंगे, जिन्हें उद्योग मानकों में परिभाषित किया गया है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

- (ए) भारतीय समाचार पत्र;
- (बी) डिजिटल/ऑनलाइन समाचार स्रोत;
- (सी) अंतर्राष्ट्रीय मीडिया;
- (डी) समाचार चैनल; और
- (इ) सोशल मीडिया को बाहर रखा जाएगा।

अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में केवल निम्नलिखित समाचार स्रोत शामिल होंगे:

बाजार पूँजीकरण पर आधारित शीर्ष 100 सूचीबद्ध कंपनियों के लिए, ऐसे शीर्ष 5 (पांच) अधिकार क्षेत्रों में, जहां से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत में निवेश किया है, शीर्ष 5 (पांच) अधिकार क्षेत्रों में, जहां से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने भारत में निवेश किया है, जिसमें शीर्ष 5 अधिकार क्षेत्रों में संयुक्त राज्य अमेरिका, सिंगापुर, मॉरीशस, लक्झमबर्ग और यूनाइटेड किंगडम हैं। इन अधिकार क्षेत्रों के लिए वर्तमान में शीर्ष अंग्रेजी बिजनेस/फाइनेन्सियल टैनिक समाचार पत्रों में शामिल हैं:

- (ए) संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वॉल स्ट्रीट जर्नल और फाइनेन्शियल टाइम्स;
- (बी) बिजनेस टाइम्स (स्थानीय समाचार पत्र) और सिंगापुर के लिए फाइनेन्शियल टाइम्स; और
- (सी) यूनाइटेड किंगडम के लिए फाइनेन्शियल टाइम्स।

यह देखते हुए कि मॉरीशस और लक्झमबर्ग में कोई भी (b) बिजनेस / फाइनेन्सियल समाचार पत्र प्रिंट रूप में प्रकाशित नहीं होते हैं, इन 2 (दो) अधिकार क्षेत्रों के लिए कोई समाचार पत्र नहीं जोड़ा गया है।

भाग A के तहत खंड 1.1 (iii) (b) के अनुसार — उद्योग मानकों के सामान्य पहलू अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का पता लगाने के लिए, ऊपर पहले से परिभाषित स्रोतों के अलावा, अर्थपूर्ण बिजनेस आपरेशन करने वाले विदेशी अधिकार क्षेत्रों की पहचान लिस्टिंग विनियमों के अनुसार अर्थपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के लिए पालन किए गए मानदंडों के आधार पर की जाएगी।

ऐसे अधिकार क्षेत्रों से कंपनी द्वारा अंग्रेजी बिजनेस /फाइनेन्सियल समाचार स्रोतों की सूची को ट्रैक किया जाएगा।

अधिकार क्षेत्रों का मूल्यांकन वार्षिक आधार पर अर्थपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण के आकलन के आधार पर किया जाएगा।
